Machine Translated by Google

ARREDS

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न का औपचारिकीकरण प्रसंस्करण उद्यम (पीएम एफएमई) योजना

योजना का परिव्यय पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये (2020-21 से 2024-25)

Machine Translated by Google

ARREDS

पीएम औपचारिकीकरण का माइक्रो फूड प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएम एफएमई)

पीएमएफएमई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है

(खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)

योजना का परिव्यय पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) में 10,000 करोड़ रुपये है।

उद्देश्य

मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण द्वारा ऋण तक पहुंच में वृद्धि उद्यमी, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां;

ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण;

मौजूदा 2,00,000 उद्यमों को औपचारिक ढांचे में परिवर्तित करने के लिए समर्थन;

सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाएं, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और इन्क्यूबेशन सेवाओं जैसी सामान्य सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि;

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत करना;

उद्यमों के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी सहायता तक पहुंच में वृद्धि।

Machine Translated by Google

ARREDS

पीएम औपचारिकीकरण का माइक्रो फूड प्रसंस्करण उद्यम (पीएम एफएमई) योजना

पात्र संस्थाएं: • व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य

प्रसंस्करण उद्यम (मौजूदा और नए दोनों) • समूह श्रेणी: एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक सहकारी समितियां एक जिला एक उत्पाद-

(ओडीओपी)

ओडीओपी में संबद्ध कृषि (डेयरी, पोल्ट्री, आदि), अनाज, बागवानी, मसाले, वनोपज, आम, आलू, टमाटर, शहद, हल्दी, इमली, आदि शामिल हैं, जिनका निर्यात मूल्य है मौजूदा व्यक्तिगत इकाइयां: ओडीओपी उत्पादक इकाइयों के लिए वरीयता मौजूदा समूह: मुख्य रूप से ओडीओपी उत्पाद नई इकाइयां: व्यक्तिगत/

समूह दोनों-केवल ओडीओपी उत्पाद सामान्य बुनियादी ढांचा और विपणन और ब्रांडिंग-केवल

ओडीओपी, कुछ उत्पादों के

लिए राज्य स्तर/क्षेत्रीय स्तर पर समर्थन को छोड़कर, हालांकि वे ओडीओपी के तहत शामिल

नहीं हैं।

(अब इसके अलावा अन्य के लिए भी ऋण दिया जा सकेगा)

राज्यवार पहचान के अनुसार ओ.डी.ओ.पी.

Machine Translated by Google

ARREDS

पीएम औपचारिकीकरण
का
माइक्रो फूड
प्रसंस्करण
उद्यम
(पीएम एफएमई)
योजना

परियोजना लागत में शामिल हैं: • संयंत्र और मशीनरी

की लागत • तकनीकी निर्माण कार्य,

(तकनीकी कार्य परियोजना लागत का 30% से अधिक नहीं)

लेकिन इसमें भूमि/किराया या पट्टे पर कार्य-शेड की लागत शामिल नहीं है

डीआरपी की तैयारी के लिए सहायता : •समूह को •व्यक्तियों को

Machine Translated by Google

गतिविधियों के कुछ क्षेत्र

Fruits and vegetable processing

Dairy processing

Grain processing

Fish and marine processing

Meat and poultry processing

Bakery and confectionary processing

Fat and oil seed processing

Spices and plantation processing

Minor forest produce processing

Machine Translated by Google

अपात्र गतिविधियाँ

- Trading and selling of unprocessed Millets/Cereals/Spices etc.
- Unprocessed or Loose Milk (Selling of Milk/Curd)
- Trading and selling of fruits and vegetables
- Trading and selling of unprocessed Minor Forest Product
- Bee Keeping/Loose selling of Honey
- Loose selling, trading and repacking of oil
- Trading and selling of groundnut, Arecanut (Exception: Any proposal for export variety would be reviewed on case to case basis. State Government to take prior approval from MoFPI for such cases.)
- .Poultry, Piggery, Goatry or any other rearing activity of animals
- Trading and selling of fresh Fish/ meat/chicken etc.,
- Repacking of manufactures products
- Canteen, grocery, hotel, tiffin services, restaurants or any other food services enterprises

Machine Translated by Google

ARREDS

पात्रता

व्यक्ति

पात्र व्यक्तिगत आयकर का 35% की दर से पूंजी सब्सिडी,
प्रति उधारकर्ता अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये

मार्जिन योगदान 10 % मौजूदा इकाइयाँ

अधिमानतः ODOP उत्पादों में शामिल

असंगठित और < 10 कर्मचारी नियोजित

आवेदक-स्वामित्व अधिकार-स्वामित्व/
साझेदारी

18 वर्ष से ऊपर,

आठवीं कक्षा पास का प्रावधान हटाया गया

प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति

Machine Translated by Google

ARREDS

समूह श्रेणी

संपूर्ण मूल्य श्रृंखला - छंटाई, ग्रेडिंग, परख, भंडारण, सामान्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन और परीक्षण प्रयोगशालाओं में एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना।

एफपीओ	स्वयं सहायता समूह
अनुदान @35% ओडीओपी (अधिमानतः) न्यूनतम टर्नओवर 1 रुपये करोड़। उत्पाद में ज्ञान/अनुभव न्यूनतम 3 वर्ष मार्जिन 10 %	बीज पूंजी कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए एसएचजी के प्रत्येक सदस्य के लिए 40,000 रुपये की बीज पूंजी (बीज पूंजी केवल उन लोगों के लिए है जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं) ओडीओपी उत्पादन में शामिल एसएचजी को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल ऐसे एसएचजी सदस्य जो वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण में लगे हैं। एसएचजी के महासंघ स्तर पर एसएमए/एसआरएलएम द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराएगा। **पूंजी निवेश** 1.व्यक्तिगत एसएचजी सदस्य: ऋण लिंक्ड अनुदान @35% (अधिकतम 10 लाख रुपये) 2. एसएचजी स्तर के संघ में: 35% की दर से ऋण लिंक्ड अनुदान 3. पात्रता: मार्जिन को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि, पीसी का 10%, डब्ल्यूसी के लिए 20% ओडीओपी प्रसंस्करण में 3 साल का अनुभव
	प्रशिक्षण एवं सहायता-एसआरएलएम

Machine Translated by Google

अन्य सुविधाओं

सुविधा	सावधि ऋण
ऋण की मात्रा कोई न्यूनतम और अधिकतम नहीं	
अंतर	व्यक्तिगत-पीसी का 10% एफपीओ-10 % एसएचजी- व्यक्तिगत योगदान का 10% और कार्यशील पूंजी के लिए 20%
सब्सिडी/अनुदान	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम: पूंजी सब्सिडी @ पीसी का 35%, (अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति इकाई) एफपीओ/सहकारिताएं: @पीसी का 35% स्वयं सहायता समूह @पीसी का 35% (अधिकतम 10 लाख रुपये)
	सब्सिडी को 3 वर्षों तक सब्सिडी रिजर्व खाते में रखा गया

Machine Translated by Google

अन्य विशेषताएं-यूएसपी

ऋण गारंटी	मुद्रा के अंतर्गत ऋण के लिए: CGFMU 10 लाख से 5 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए: CGTMSE
अभिसरण	एआईएफ के साथ अभिसरण (यदि लागू हो) स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम 2 करोड़ रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण के लिए सीजीटीएमएसई 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पीएम मुद्रा आदि।

Machine Translated by Google

सुरक्षा

प्राथमिक	बैंक वित्त से निर्मित परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक भूमि बंधक की आवश्यकता नहीं
संपार्श्विक	SARFAESI अनुरूप संपत्ति का बंधक-अन्य ऋणों से संबद्ध नहीं शाखा से 25 किलोमीटर की परिधि से आगे जाने का निर्णय मंजूरी देने वाला प्राधिकारी ले सकता है।
एमएसएमएसई इकाइयाँ	5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए: कोई संपार्श्विक नहीं (सीजीटीएमएसई के तहत) 5 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिए: सीआरए से जुड़ा हुआ
पीएम मुद्रा	10 लाख रुपये तक कोई जमानत नहीं
स्वयं सहायता समूह	20 लाख रुपये तक कोई जमानत नहीं (सीजीएफएमयू के अंतर्गत कवर)
निर्माता सह- कार्यकर्ता	2 करोड़ रुपये तक: 2 करोड़ रुपये तक कोई संपार्श्विक नहीं (कवर) नवसंरक्षण के तहत) 2 करोड़ रुपये से अधिक: सी.आर.ए. से जुड़ा हुआ

Machine Translated by Google

https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/होम-पेज

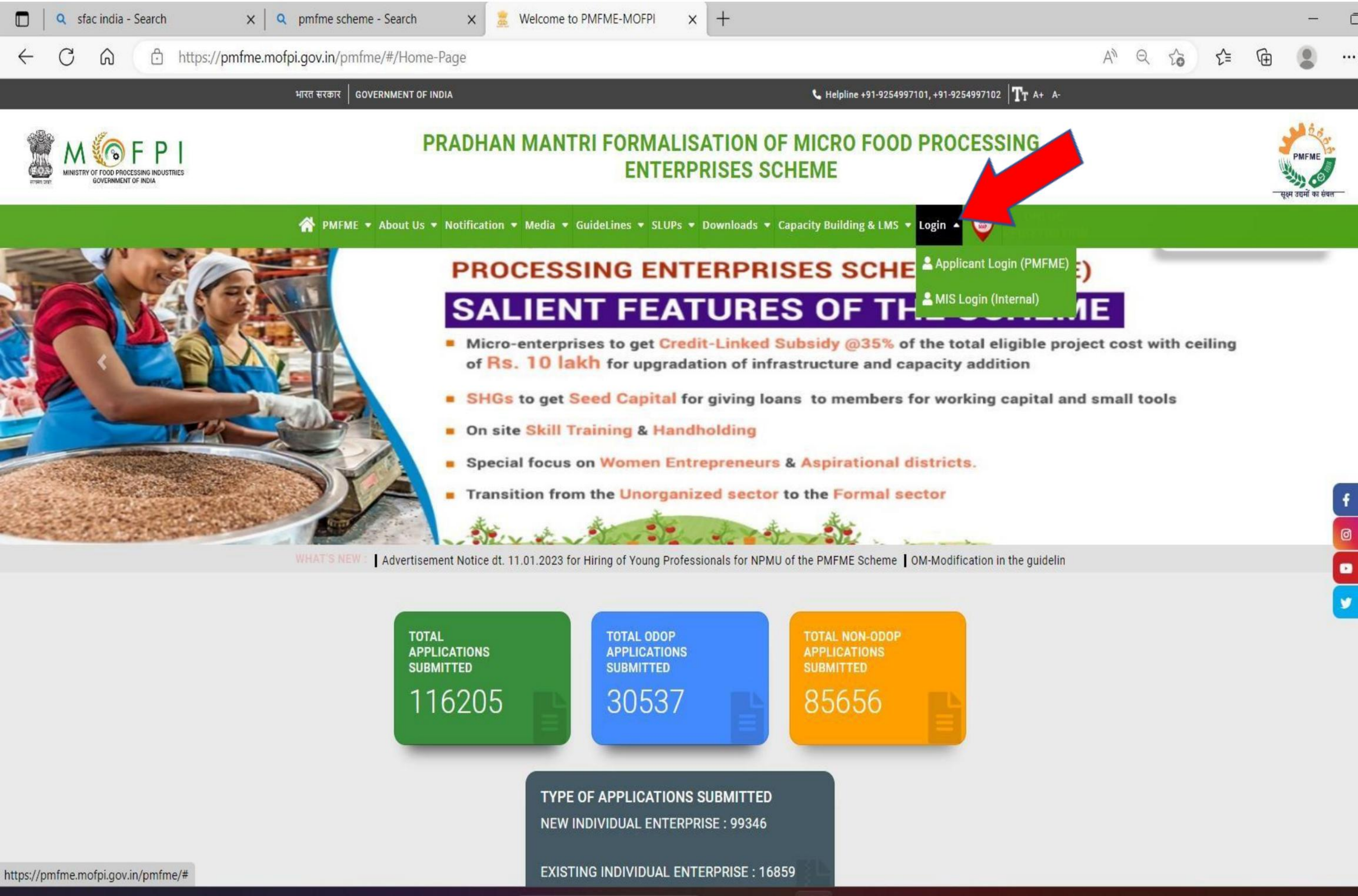

Machine Translated by Google

धन्यवाद

THANK YOU